हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

शनिवार, 31 अगस्त, 2019/9 भाद्रपद,1941 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए
   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखा जाएगा :**

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे, वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. **सदन की समिति के प्रतिवेदन:**

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति के **41वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 132वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **158वें मूल प्रतिवेदन** (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 186वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के **42वें मूल प्रतिवेदन** (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 124वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति के **110वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 222वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(v) समिति के **83वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 119वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है;

(vi) समिति के **138वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **मत्स्यपालन विभाग** से सम्बन्धित है;

(vii) समिति के **30वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 107वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **चिकित्सा शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(viii) समिति के **86वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 121वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है;

(ix) समिति के **326वें मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 80वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **गृह विभाग** से सम्बन्धित है;

(x) समिति के **35वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 160वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है; और

(xi) समिति के **81वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 168वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है ।

4. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव** करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 15)

पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 16)

पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 17)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iv) डॉ0 रामलाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि संपूर्ण राज्य में कृषि उपज का भौगोलिक निर्बन्धन-मुक्त व्यापार संव्यवहार करने; कृषकों को अपनी उपज को हर समय और हर स्थान पर विक्रय हेतु स्वतंत्रता प्रदान करने, अभिनव रूप अपनाने के माध्यम से व्यापार संचालनों और मूल्य निर्धारण क्रियाविधि में पारदर्शिता में वृद्धि करने, प्रतियोगी विपणन, कृषि प्रसंस्करण और कृषि निर्यात हेतु बहुविध प्रणालियों की अनिवार्यता को बढ़ावा देने; हिमाचल प्रदेश राज्य में मण्डियों और विपणन अवसंरचना के विकास में विनिधानों को प्रोत्साहित करने, तथा जहां उसके लिए असुविधाजनक विनियम, वृत्तिक प्रबन्धन और अनुकूल नीतिगत ढांचा स्थापित करना समीचीन है, के लिए और उससे सम्बन्धित प्रयोजनों तथा उसके लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अधिकथित करने का उपबन्ध करने के लिए विधि पुन: अधिनियमित करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 14)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य:

(1) **श्री गोविन्द्र सिंह ठाकुर, वन मन्त्री,** "केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को CAMPA FUNDS के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान" बारे वक्तव्य देंगे ।

(2) **डॉ0 राजीव सैजल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** "विभाग को पोषण अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ निष्पादन हेतु तीन राष्ट्रीय पुरूस्कार एक जिला सोलन व दो खण्डों को प्राप्त हुए हैं" बारे वक्तव्य देंगे ।

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री परमजीत सिंह, "भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई प्रधान मन्त्री श्रम योगी मानधन योजना,** से उत्पन्न स्थिति की ओर **उद्योग मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।"

(2) **श्रीमती आशा कुमारी**
श्री बलबीर सिंह वर्मा

"**भरमौर व चौपाल क्षेत्रों में बादल फटने,** से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।"

7. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

(1) **श्री रविन्द्र कुमार,** "दिनांक 29 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1543 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

(2) **श्री राम लाल ठाकुर,**"दिनांक 26 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1409 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

(3) **श्री रमेश चन्द ध्वाला,** "दिनांक 26 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1403 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

(4) **श्री लखविन्द्र सिंह राणा,** "दिनांक 30 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1548 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

(5) **श्री आशीष बुटेल,**"दिनांक 30 अगस्त, 2019 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 472 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

8. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री राम लाल ठाकुर (49-श्री नैना देवीजी),** अखिल भारतीय सेवाओं व प्रदेश सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की विसंगति का समाधान करके शेष धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र जारी करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(2) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल (53-सोलन),** जिला सोलन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कनैर का बन्दोबस्त करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(3) **श्री राकेश सिंघा (61-ठियोग),** शिमला ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों की शामलात भूमि की चारागाहों की किस्म को न बदल कर उसे वर्ष 1950 के अनुरूप ही रखने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री अनिरूद्ध सिंह (62-कसुम्पटी),** श्री दुर्गा माता मन्दिर (समरहिल) व कामना देवी मन्दिर (बालूगंज) का शीघ्रातिशीघ्र पंजीकरण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री लखविन्द्र सिंह राणा (51-नालागढ़),** नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सैनिमाजरा व मझौली में अत्याधिक बाढ़ से खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा प्रदान करने तथा साथ ही कनाहन नदी में रिटेनिंग वॉल लगावाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(6) **श्री नरेन्द्र ठाकुर (38-हमीरपुर),** हिमऊर्जा के अतिरिक्त विद्युत निदेशालय, हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद् तथा एच0पी0पी0सी0एल0 के सहयोग से सरकारी इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने तथा प्रत्येक जिले में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(7) **श्री परमजीत सिंह (52-दून),** विद्युत मण्डल, सोलन के अन्तर्गत विद्युत उप-मण्डल, स्पाटू में आऊटसोर्स (outsource) पर तैनात चौकीदार की बकाया धनराशि की शीघ्रातिशीघ्र अदायगी करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(8) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (39-बड़सर),** प्रदेश में माईनिंग लीज़ (Mining Lease) हेतु एक साथ लागू किए जा रहे दोहरे कानून में शीघ्रातिशीघ्र सुधार करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(9) **श्री आशीष बुटेल (19-पालमपुर),** पालमपुर में भारी वर्षा व तेज हवाओं के कारण पेड़ों के गिरने व उखड़ने से उत्पन्न हुई स्थिति बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

शिमला-171004 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 30 अगस्त, 2019 सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)